Dr. Shyama Prasad Mukherjee University

DEPT. OF COMMERCE

B.COM SEM – 2

PAPER: Corporate Law

TOPIC: UNIT 2 – Prospectus/ प्रविवरण

BY: HARSHA

What is a Prospectus and its importance? प्रविवरण क्या है और इसका महत्व क्या है?

Sec. 2(70) of the Company Act, 2013 defines prospectus as 'prospectus' a document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus refer to in section 32 or shelf prospectus referred to in section 31 or any notice, circular advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription o purchase of any securities of a body corporate."

- The company provides prospectus with capital raising intention. Prospectus helps the investors to make a well-informed decision because of the prospectus all the required information of the securities which are offered to the public for sale.
- Whenever the company issues the prospectus, the company must file it with the regulator. The prospectus includes the details of the company's business, financial statements.
    - ✓ To notify the public of the issue
    - ✓ To put the company on record with regards to the terms of the issue and allotment process
    - ✓ To establish accountability on the part of the directors and promoters of the company

कंपनी अधिनियम, 2013 के 2 (70) में प्रविवरण को 'प्रोस्पेक्टस' के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक प्रविवरण के रूप में वर्णित या जारी किया गया एक दस्तावेज है और इसमें धारा 32 में संदर्भित एक रेड हेरिंग प्रविवरण या धारा 31 में संदर्भित शेल्फ प्रविवरण या कोई नोटिस, परिपत्र विज्ञापन शामिल है। किसी कॉर्पोरेट निकाय की प्रतिभूतियों की खरीद के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करने वाला अन्य दस्तावेज।"

• कंपनी पूंजी जुटाने के इरादे से प्रविवरण प्रदान करती है। प्रविवरण निवेशकों को प्रविवरण के कारण एक अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने में मदद करता है, जो प्रतिभूतियों की सभी आवश्यक जानकारी है जो जनता को बिक्री के लिए पेश की जाती है।

• जब भी कंपनी प्रविवरण जारी करती है, तो कंपनी को इसे नियामक के पास दाखिल करना चाहिए। प्रविवरण में कंपनी के व्यवसाय, वित्तीय विवरणों का विवरण शामिल है।

- ✓ मुद्दे की जनता को सूचित करने के लिए
- ✓ इश्यू की शर्तों और आवंटन प्रक्रिया के संबंध में कंपनी को रिकॉर्ड में रखना
- ✓ कंपनी के निदेशकों और प्रमोटरों की ओर से जवाबदेही स्थापित करने के लिए

Types of Prospectus: प्रविवरण के प्रकार:

According to Companies Act 2013, there are four types of prospectus.

- ✓ Deemed Prospectus – Deemed prospectus has mentioned under Companies Act, 2013 Section 25 (1). When a company allows or agrees to allot any securities of the company, the document is considered as a deemed prospectus via which the offer is made to investors. Any document which offers the sale of securities to the public is deemed to be a prospectus by implication of law.
- ✓ डीम्ड प्रविवरण - डीम्ड प्रविवरण का उल्लेख कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 25 (1) के तहत किया गया है। जब कोई कंपनी कंपनी की किसी भी प्रतिभूतियों को आवंटित करने की अनुमति देती है या सहमत होती है, तो दस्तावेज़ को एक डीम्ड प्रविवरण माना जाता है जिसके माध्यम से निवेशकों को प्रस्ताव दिया जाता है। कोई भी दस्तावेज जो जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री की पेशकश करता है उसे कानून के निहितार्थ से एक प्रविवरण माना जाता है।
- ✓ Red Herring Prospectus – Red herring prospectus does not contain all information about the prices of securities offered and the number of securities to be issued. According to the act, the firm should issue this prospectus to the registrar at least three before the opening of the offer and subscription list.
- ✓ रेड हेरिंग प्रविवरण - रेड हेरिंग प्रविवरण में प्रस्तावित प्रतिभूतियों की कीमतों और जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या के बारे में सभी जानकारी शामिल नहीं है। अधिनियम के अनुसार, फर्म को प्रस्ताव और सदस्यता सूची के खुलने से कम से कम तीन पहले रजिस्ट्रार को यह प्रविवरण जारी करनी चाहिए।
- ✓ Shelf prospectus – Shelf prospectus is stated under section 31 of the Companies Act, 2013. Shelf prospectus is issued when a company or any public financial institution offers one or more securities to the public. A company shall provide a validity period of the prospectus, which should not be more than one year. The validity period starts with the commencement of the first offer. There is no need for a prospectus on further offers. The organization must provide an information memorandum when filing the shelf prospectus.
- ✓ शेल्फ प्रविवरण - शेल्फ प्रविवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 31 के तहत कहा गया है। शेल्फ प्रविवरण तब जारी किया जाता है जब कोई कंपनी या कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्थान जनता को एक या अधिक प्रतिभूतियां प्रदान करता है। एक कंपनी प्रविवरण की वैधता अवधि प्रदान करेगी, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैधता अवधि पहले ऑफ़र की शुरुआत के साथ शुरू होती है। आगे के प्रस्तावों पर प्रविवरण की कोई आवश्यकता नहीं है। शेल्फ प्रविवरण दाखिल करते समय संगठन को एक सूचना ज्ञापन प्रदान करना चाहिए।
- ✓ Abridged Prospectus – Abridged prospectus is a memorandum, containing all salient features of the prospectus as specified by SEBI. This type of prospectus includes all the information in brief, which gives a summary to the investor to make further decisions. A company cannot issue an application form for the purchase of securities unless an abridged prospectus accompanies such a form.
- ✓ संक्षिप्त प्रविवरण - संक्षिप्त प्रविवरण एक ज्ञापन है, जिसमें सेबी द्वारा निर्दिष्ट प्रविवरण की सभी मुख्य विशेषताएं शामिल हैं। इस प्रकार के प्रविवरण में संक्षेप में सभी जानकारी शामिल होती है, जो निवेशक को आगे के निर्णय लेने के लिए एक सारांश देती है। एक कंपनी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए एक आवेदन पत्र जारी नहीं कर सकती है जब तक कि एक संक्षिप्त प्रविवरण ऐसे फॉर्म के साथ न हो।

ESSENTIALS OF A DOCUMENT TO BE CALLED PROSPECTUS/ प्रविवरण कहे जाने वाले दस्तावेज़ की अनिवार्यता

- Invitation of subscription must be made to the public of share or debentures or inviting deposits by the document.
- The invitation must be made to the public or the purchasers.
- Such invitation must be invited by the company or on the behalf of the company.
- The invitation must be associated with debentures, shares or such other instruments.
- जनता को शेयर या डिबेंचर या दस्तावेज़ द्वारा जमा को आमंत्रित करने के लिए सदस्यता का निमंत्रण दिया जाना चाहिए।
- आमंत्रण जनता या ख़रीदारों को दिया जाना चाहिए।
- ऐसा आमंत्रण कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- आमंत्रण डिबेंचर, शेयरों या ऐसे अन्य उपकरणों से जुड़ा होना चाहिए

PUBLIC OFFER AND PRIVATE PLACEMENT

(1) A public company may issue securities:

(a) to public through prospectus (herein referred to as 'public offer') by complying with the provisions of this Part; or

(b) through private placement by complying with the provisions of Part II of this Chapter, or

(c) through a rights issue or a bonus issue in accordance with the provisions of this Act and in case of a listed company or a company which intends to get its securities listed also with the provisions of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the rules and regulations made thereunder.

1) एक सार्वजनिक कंपनी प्रतिभूतियां जारी कर सकती है:

(a) इस भाग के प्रावधानों का अनुपालन करके प्रविवरण (यहां 'सार्वजनिक प्रस्ताव' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से जनता के लिए; या

(b) इस अध्याय के भाग II के प्रावधानों का अनुपालन करके निजी प्लेसमेंट के माध्यम से, या

(c) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के माध्यम से और एक सूचीबद्ध कंपनी या एक कंपनी के मामले में जो अपनी प्रतिभूतियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के साथ सूचीबद्ध करने का इरादा रखती है, 1992 और उसके तहत बनाए गए नियम और कानून।

(2) A private company may issue securities:

(a) by way of rights issue or bonus issue in accordance with the provisions of this Act; or

(b) through private placement by complying with the provisions of Part II.

एक निजी कंपनी प्रतिभूतियां जारी कर सकती है:

(a) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के माध्यम से; या

(b) भाग II के प्रावधानों का अनुपालन करके निजी प्लेसमेंट के माध्यम से।

MATTERS TO BE STATED IN PROSPECTUS:

(1) Every prospectus issued by or on behalf of a public company either with reference to its formation or subsequently, or by or on behalf of any person who is or has been engaged or interested in the formation of a public company, shall be dated and signed and shall state such information and set out such reports on financial information as may be specified by the SEBI in consultation with the Central Government. किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या तो इसके गठन के संदर्भ में या बाद में, या किसी भी व्यक्ति की ओर से जारी किया गया प्रत्येक प्रविवरण, जो एक सार्वजनिक कंपनी के गठन में लगी हुई है या रुचि रखती है, दिनांकित और हस्ताक्षरित होगी और केंद्र सरकार के परामर्श से सेबी द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली वित्तीय जानकारी पर ऐसी जानकारी का उल्लेख करेगा और ऐसी रिपोर्ट तैयार करेगा

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply:

(a) to the issue to existing members or debenture-holders of a company, of a prospectus or form of application relating to shares in or debentures of the company, whether an applicant has a right to renounce the shares or not under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section of section 62 in favour of any other person; or

कंपनी के मौजूदा सदस्यों या डिबेंचर-धारकों को जारी करने के लिए, कंपनी के शेयरों या डिबेंचर से संबंधित एक प्रविवरण या आवेदन के रूप में, चाहे आवेदक को शेयरों को छोड़ने का अधिकार है या नहीं उप-खंड (ii) के तहत किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में धारा 62 की उप-धारा के खंड (ए) का; या

(b) to the issue of a prospectus or form of application relating to shares or debenture which are, or are to be, in all respects uniform with shares or debentures previously issued and for the time being dealt in or quoted on a recognised stock exchange. शेयरों या डिबेंचर से संबंधित एक प्रविवरण या आवेदन के रूप में जारी करने के लिए, जो पहले से जारी किए गए शेयरों या डिबेंचर के साथ सभी तरह से समान हैं, या होने वाले हैं और किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए या उद्धृत किए गए हैं।

(3) Subject to sub-section (2), the provisions of sub-section (1) shall apply to a prospectus or a form of application, whether issued on or with reference to the formation of a company or subsequently. Explanation: The date indicated in the prospectus shall be deemed to be the date of its publication. उप-धारा (2) के अधीन, उप-धारा (1) के प्रावधान एक प्रविवरण या आवेदन के रूप में लागू होंगे, चाहे वह कंपनी के गठन के संदर्भ में या बाद में जारी किया गया हो। व्याख्या: प्रविवरण में दर्शाई गई तिथि इसके प्रकाशन की तिथि मानी जाएगी।

(4) No prospectus shall be issued by or on behalf of a company or in relation to an intended company unless on or before the date of its publication, there has been delivered to the Registrar for registration, a copy thereof signed by every person who is named therein as a director or proposed director of the company or by his duly authorised attorney. किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या किसी इच्छित कंपनी के संबंध में कोई प्रविवरण जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके प्रकाशन की तारीख को या उससे पहले पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को नहीं दिया गया हो, उसकी एक प्रति प्रत्येक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की गई हो, जिसका नाम उसमें रखा गया हो। कंपनी के निदेशक या प्रस्तावित निदेशक के रूप में या उसके विधिवत अधिकृत वकील द्वारा।

(5) A prospectus issued under sub-section (1) shall not include a statement purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not, has not been engaged or interested in the formation or promotion or management, of the company and has given his written consent to the issue of the prospectus and has not withdrawn such consent before the delivery of a copy of the prospectus that effect shall be included in Registrar for registration and a statement to the prospectus. उप-धारा (१) के तहत जारी एक प्रविवरण में एक विशेषज्ञ द्वारा दिया जाने वाला एक बयान शामिल नहीं होगा जब तक कि विशेषज्ञ एक ऐसा व्यक्ति न हो, जो कंपनी के गठन या पदोन्नति या प्रबंधन में संलग्न या रुचि नहीं रखता है और प्रोस्पेक्टस के मुद्दे पर अपनी लिखित सहमति दे दी है और प्रविवरण की एक प्रति के वितरण से पहले ऐसी सहमति वापस नहीं ली है कि पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार और प्रविवरण के लिए एक बयान में प्रभाव शामिल किया जाएगा।

(6) Every prospectus issued under sub-section (1) shall, on the face of it:

(a) state that a copy has been delivered for registration to the Registrar as required under sub-section (4); and (b) specify any documents required by this section to be attached to the copy so delivered or refer to statements included in the prospectus which specify these documents.

(a) यह बताएं कि उप-धारा (4) के तहत आवश्यक रूप से रजिस्ट्रार को पंजीकरण के लिए एक प्रति वितरित की गई है; और (b) इस खंड के लिए आवश्यक किसी भी दस्तावेज को इस प्रकार वितरित की गई प्रतिलिपि के साथ संलग्न करने के लिए निर्दिष्ट करें या प्रविवरण में शामिल बयानों को देखें जो इन दस्तावेजों को निर्दिष्ट करते हैं।

(7) The Registrar shall no register a prospectus unless the requirements of this section with respect to its registration are complied with and the prospectus is accompanied by the consent in writing of all the persons named in the prospectus. रजिस्ट्रार एक प्रविवरण को तब तक पंजीकृत नहीं करेगा जब तक कि इसके पंजीकरण के संबंध में इस खंड की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाता है और प्रविवरण के साथ प्रविवरण में नामित सभी व्यक्तियों की लिखित सहमति है।

(8) No prospectus shall be valid if it is issued more than ninety days after the date on which a copy thereof is delivered to the Registrar under sub-section (4). कोई भी प्रविवरण वैध नहीं होगी यदि वह उस तारीख के नब्बे दिनों से अधिक जारी की जाती है जिस दिन उसकी एक प्रति उप-धारा (4) के तहत रजिस्ट्रार को दी जाती है।

THE CONTENTS OF A PROSPECTUS

The detailed contents of a prospectus are given in Section 26 of the Companies Act, 2013. The prospectus must have the following contents:

- ✓ The details of the corporate like name, its registered office address, its CIN number, and the objects of the company.
- ✓ The details of the one who signs the Memorandum and their particulars of the shareholding.
- ✓ The details of the Directors of the company.
- ✓ The minimum subscription amount that has been invited to the public share or debentures.
- ✓ The details of the shares offered.

- ✓ The amounts payable on the stages such as on application, then on allotment and on the further calls.
- ✓ The details of the underwriters of the issue.
- ✓ Details of the Auditors of the company and their reports of the profit and the losses beard by the company.
- ✓ The detailed procedure and time schedule for allotment and issue of securities.
- ✓ The capital structure of the company.
- ✓ The management perception of risk factors specific to the project.
- ✓ The deadlines for the completion of the project.
- ✓ The disclosures in such manner as may be prescribed about the sources of promoter's contribution.
- ✓ Any litigation of legal action pending or taken by a Government Department or a statutory body.

एक प्रविवरण की सामग्री

प्रविवरण की विस्तृत सामग्री कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 26 में दी गई है। प्रविवरण में निम्नलिखित सामग्री होनी चाहिए:

- ✓ कॉर्पोरेट का विवरण जैसे नाम, उसका पंजीकृत कार्यालय का पता, उसका सीआईएन नंबर और कंपनी के उद्देश्य।
- ✓ ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का विवरण और शेयरधारिता का उनका विवरण।
- ✓ कंपनी के निदेशकों का विवरण।
- ✓ न्यूनतम सदस्यता राशि जिसे सार्वजनिक शेयर या डिबेंचर के लिए आमंत्रित किया गया है।
- ✓ पेशकश किए गए शेयरों का विवरण।
- ✓ चरणों पर देय राशि जैसे आवेदन पर, फिर आवंटन पर और आगे की कॉल पर।
- ✓ मुद्दे के हामीदारों का विवरण।
- ✓ कंपनी के लेखापरीक्षकों का विवरण और कंपनी द्वारा दाढ़ी के लाभ और हानि की उनकी रिपोर्ट।
- ✓ प्रतिभूतियों के आवंटन और निर्गम के लिए विस्तृत प्रक्रिया और समय सारिणी।
- ✓ कंपनी की पूंजी संरचना।
- ✓ परियोजना के लिए विशिष्ट जोखिम कारकों की प्रबंधन धारणा।
- ✓ परियोजना को पूरा करने की समय सीमा।
- ✓ प्रवर्तक के योगदान के स्रोतों के बारे में निर्धारित तरीके से प्रकटीकरण।
- ✓ सरकारी विभाग या वैधानिक निकाय द्वारा लंबित या की गई कानूनी कार्रवाई का कोई मुकदमा।

DISCLOSURES TO BE MADE IN A PROSPECTUS/ एक प्रविवरण में किए जाने वाले प्रकटीकरण:

General Information: The general information contained in a prospectus will be related to the name and address of the company's head office, officers, company secretary, directors, bankers, legal advisers. It accounts for the primary objective and business operated by the company. It describes the company's capital structure in a specified manner. Further, it contains information about the issue opening and closing date, procedure and terms for

allotment. It lists out the objective of the public offer and terms and conditions of the issue. It also contains the consent of all the officers.

सामान्य जानकारी: एक प्रविवरण में निहित सामान्य जानकारी कंपनी के प्रधान कार्यालय, अधिकारियों, कंपनी सचिव, निदेशकों, बैंकरों, कानूनी सलाहकारों के नाम और पते से संबंधित होगी। यह कंपनी द्वारा संचालित प्राथमिक उद्देश्य और व्यवसाय के लिए जिम्मेदार है। यह एक निर्दिष्ट तरीके से कंपनी की पूंजी संरचना का वर्णन करता है। इसके अलावा, इसमें इश्यू के खुलने और बंद होने की तारीख, प्रक्रिया और आवंटन की शर्तों के बारे में जानकारी होती है। यह सार्वजनिक पेशकश के उद्देश्य और निर्गम के नियमों और शर्तों को सूचीबद्ध करता है। इसमें सभी अधिकारियों की सहमति भी शामिल है।

Financial Information: The financial information includes reports provided by company's auditors in connection to the profitability, liquidity, assets and liabilities, etc. as well as the report relating to the business in which the capital raised from the public will be utilized.

वित्तीय जानकारी: वित्तीय जानकारी में कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा लाभप्रदता, तरलता, संपत्ति और देनदारियों आदि के संबंध में प्रदान की गई रिपोर्ट के साथ-साथ उस व्यवसाय से संबंधित रिपोर्ट भी शामिल है जिसमें जनता से जुटाई गई पूंजी का उपयोग किया जाएगा।

Statutory Information: The prospectus should include an official declaration concerning the compliance of the Companies Act and also that the prospectus does not contain anything which violates the provisions of the law.

वैधानिक जानकारी: प्रविवरण में कंपनी अधिनियम के अनुपालन से संबंधित एक आधिकारिक घोषणा शामिल होनी चाहिए और यह भी कि प्रविवरण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो।

MISSTATEMENT IN A PROSPECTUS/ एक प्रविवरण में गलत सूचना

The prospectus is trusted by the members of the general public for subscribing or purchasing the securities and other instruments from the corporation and any misstatement by the prospectus can lead to punishment. Misstatement in a prospectus occurs when a untrue or misleading statement is included and issued in the prospectus. Any deletion and inclusion of any matter which misleads the public is also a misstatement under Section 34 of this Act. For instance, and statement which gives the incorrect location of the company's office is misstatement in the prospectus or any statement offering shares misleads the public is a misstatement in a prospectus.

निगम से प्रतिभूतियों और अन्य उपकरणों की सदस्यता लेने या खरीदने के लिए आम जनता के सदस्यों द्वारा प्रविवरण पर भरोसा किया जाता है और प्रविवरण द्वारा किसी भी गलत विवरण से सजा हो सकती है। प्रविवरण में गलत विवरण तब होता है जब एक असत्य या भ्रामक बयान शामिल किया जाता है और प्रविवरण में जारी किया जाता है। किसी भी मामले को हटाना और शामिल करना जो जनता को गुमराह करता है, वह भी इस अधिनियम की धारा 34 के तहत एक गलत बयानी है। उदाहरण के लिए, और विवरण जो कंपनी के कार्यालय का गलत स्थान देता है, प्रविवरण में गलत विवरण है या शेयरों की पेशकश करने वाला कोई भी बयान जनता को गुमराह करता है, एक प्रविवरण में एक गलत विवरण है।

LIABILITY FOR MISSTATEMENT WITHIN THE PROSPECTUS/ प्रविवरण के भीतर गलत विवरण के लिए दायित्व:

The one who gives the consent and signs the prospectus is to blame for any misstatement in a prospectus. The Managers, CS and also the Directors of the corporation are answerable for the same. However, mere signing won't result in liability for misstatement if the person who signed the prospectus is neither a Manager nor draws salary from that company. In the case, Sahara India Commercial Corporation Ltd., SEBI 31st October 2018, on behalf of the Director of the company, the Company Secretary signed the prospectus using their power of attorney and SEBI concluded that the CS wasn't chargeable for the misstatement within the prospectus as the Director of the corporate.

जो सहमति देता है और प्रविवरण पर हस्ताक्षर करता है, वह प्रविवरण में किसी भी गलत विवरण के लिए दोषी है। इसके लिए निगम के प्रबंधक, सीएस और निदेशक भी जवाबदेह हैं। हालाँकि, केवल हस्ताक्षर करने से गलत विवरण के लिए दायित्व नहीं होगा यदि प्रविवरण पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति न तो प्रबंधक है और न ही उस कंपनी से वेतन प्राप्त करता है। मामले में, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेबी 31 अक्टूबर 2018, कंपनी के निदेशक की ओर से, कंपनी सचिव ने अपने मुख्तारनामा का उपयोग करते हुए प्रविवरण पर हस्ताक्षर किए और सेबी ने निष्कर्ष निकाला कि सीएस के भीतर गलत विवरण के लिए प्रभार्य नहीं था कंपनी के निदेशक के रूप में प्रविवरण।

Misleading representation includes –

- ✓ Any untrue statement
- ✓ Statements implicating wrong impression
- ✓ Mis-leading statements
- ✓ Not disclosing true facts
- ✓ Omission of data

भ्रामक प्रतिनिधित्व में शामिल हैं -

- ✓ कोई असत्य कथन
- ✓ गलत धारणा को दर्शाने वाले बयान
- ✓ गुमराह करने वाले बयान
- ✓ सही तथ्यों का खुलासा नहीं करना
- ✓ डेटा की चूक

Liabilities for Mis-statements in prospectus/ प्रविवरण में गलत विवरण के लिए देयताएं

The liabilities for Mis-statements in prospectus can be covered under the following heads:

- Civil Liability/ नागरिक दायित्व
- Criminal Liability/ अपराधी दायित्व

Civil Liability/ नागरिक दायित्व

Where a person who has subscribed for securities of a company based on any statement included or any inclusion or omission of a matter, in the prospectus that is misleading and upon acting on the content of the prospectus, suffers any loss or damage as a consequence, then the company and every person who–

जहां एक व्यक्ति जिसने किसी भी बयान के आधार पर किसी कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए सदस्यता ली है या किसी मामले के किसी भी समावेश या चूक के कारण, प्रोस्पेक्टस में भ्रामक है और प्रविवरण की सामग्री पर कार्य

करने पर, परिणाम के रूप में किसी भी नुकसान या क्षति का सामना करना पड़ता है, फिर कंपनी और प्रत्येक व्यक्ति जो -

- ✓ is a director of the company at the time of issue of the prospectus, प्रविवरण जारी करने के समय कंपनी का निदेशक है,
- ✓ or is named in the prospectus as the director of the company or agreed to become such director, या प्रविवरण में कंपनी के निदेशक के रूप में नामित किया गया है या ऐसा निदेशक बनने के लिए सहमत है,
- ✓ or is a promoter of the company, या कंपनी का प्रमोटर है,
- ✓ or has authorised/allowed the issue of the prospectus या प्रोस्पेक्टस जारी करने के लिए अधिकृत/अनुमति दी है
- ✓ and is an expert who has been engaged or interested in the formation, management or promotion of the company. और एक विशेषज्ञ है जो कंपनी के गठन, प्रबंधन या प्रचार में लगा हुआ है या रुचि रखता है।
- ✓ Shall be liable to pay compensation to every person, without prejudice to any punishment to which any person may be liable, to every person who has suffered such loss or damage. प्रत्येक व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, बिना किसी दंड के, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने ऐसी हानि या क्षति का सामना किया है।

Exemption from Liability/ दायित्व से छूट

No person shall be liable for misstatement if the person proves that- कोई भी व्यक्ति गलत कथन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि व्यक्ति यह साबित कर देता है कि-

- ✓ the person had withdrawn his consent before the issue of the prospectus. If a person who had consented to become the director of the company, withdraws his consent before the issue of the prospectus and that it was issued without his consent.
- ✓ or the prospectus is issued without the consent or the knowledge of a person. In case the prospectus was issued without the knowledge or the consent of a person, and after knowing of its issue, the person gives a reasonable public notice specifying that the prospectus was issued without his consent.
- ✓ व्यक्ति ने प्रविवरण जारी करने से पहले अपनी सहमति वापस ले ली थी। यदि कोई व्यक्ति जिसने कंपनी के निदेशक बनने के लिए सहमति दी थी, वह प्रविवरण जारी करने से पहले अपनी सहमति वापस ले लेता है और यह उसकी सहमति के बिना जारी किया गया था।
- ✓ या प्रविवरण किसी व्यक्ति की सहमति या जानकारी के बिना जारी की जाती है। यदि किसी व्यक्ति की जानकारी या सहमति के बिना प्रविवरण जारी किया गया था, और इसके मुद्दे को जानने के बाद, व्यक्ति एक उचित सार्वजनिक नोटिस देता है जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रविवरण उसकी सहमति के बिना जारी किया गया था।

Issuance of Prospectus with intent to defraud or any other fraudulent purposes–

Where it has been proved that a prospectus has been issued with an intent to defraud the applicants for the securities of the company or any other person for that matter or for any other malicious purpose, each person referred in the above-mentioned passage shall be personally liable, without any limitation of liability, for all or any of the damages incurred by any person who had subscribed to the securities on the basis of such prospectus.

धोखाधड़ी या किसी अन्य कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रविवरण जारी करना - जहां यह साबित हो गया है कि कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिभूतियों के लिए आवेदकों को धोखा देने के इरादे से या किसी अन्य दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए एक प्रविवरण जारी किया गया है, उपर्युक्त मार्ग में संदर्भित प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से होगा देयता की किसी भी सीमा के बिना, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी या किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी, जिसने ऐसे प्रविवरण के आधार पर प्रतिभूतियों की सदस्यता ली थी।

Criminal Liability/ अपराधी दायित्व

Section 63 of the Companies Act deals with criminal liability for mis-statements in prospectus. कंपनी अधिनियम की धारा 63 प्रविवरण में गलत विवरण के लिए आपराधिक दायित्व से संबंधित है

Where a prospectus issued, circulated, or distributed includes any statement that is untrue or misleading in any form in which it is included or where any inclusion or omission of any matter is likely to mislead, every person who authorises such issue of the prospectus shall be liable for fraud. जहां जारी किए गए, परिचालित या वितरित किए गए प्रविवरण में कोई भी बयान शामिल है जो किसी भी रूप में असत्य या भ्रामक है जिसमें इसे शामिल किया गया है या जहां किसी भी मामले के किसी भी समावेश या चूक से गुमराह होने की संभावना है, प्रत्येक व्यक्ति जो प्रविवरण के ऐसे मुद्दे को अधिकृत करता है धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी ।

“Fraud” under Sec. 447 comprises of an act, omission, concealment of any fact with an intent to deceive, gain undue advantage, or to injure the interests of the company, its shareholders, its creditors or any other person. It is not necessary that such an act involve any wrongful profit or wrongful loss. If a person commits abuse of position, then that shall also be considered fraud under this section. धारा के तहत "धोखाधड़ी"। 447 में धोखा देने, अनुचित लाभ प्राप्त करने या कंपनी, उसके शेयरधारकों, उसके लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के हितों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एक अधिनियम , चूक, किसी भी तथ्य को छुपाना शामिल है । यह आवश्यक नहीं है कि इस तरह के कार्य में कोई गलत लाभ या गलत नुकसान शामिल हो। यदि कोई व्यक्ति पद का दुरुपयोग करता है, तो उसे भी इस धारा के तहत धोखाधड़ी माना जाएगा।

REMEDIES FOR MISSTATEMENTS IN PROSPECTUS/ प्रविवरण में गलतबयानी के लिए उपाय

Remedies for civil liability/ नागरिक दायित्व के लिए उपाय

There are two remedies available against company: कंपनी के खिलाफ दो उपाय उपलब्ध हैं:

- ✓ Revocation of the Contract- The person who purchased the securities can cancel the contract. The money will be refunded to him, which he paid to the company.
- ✓ अनुबंध का निरसन - प्रतिभूतियों को खरीदने वाला व्यक्ति अनुबंध को रद्द कर सकता है। वह पैसा उसे वापस कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान उसने कंपनी को किया था।
- ✓ Damages for Fraud- After revocation, the shareholders can claim damages from the company by filing a case in the court.
- ✓ धोखाधड़ी के लिए नुकसान- निरसन के बाद, शेयरधारक अदालत में मामला दर्ज करके कंपनी से नुकसान का दावा कर सकते हैं।

Remedies against the Directors, promoters and the authorized persons who issued the prospectus: प्रविवरण जारी करने वाले निदेशकों, प्रवर्तकों और प्राधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध उपचार:

- ✓ Damages for misstatement- Compensation will be given to the shareholders for the loss by the directors, promoters and the authorized persons. गलत विवरण के लिए नुकसान- निदेशकों, प्रमोटरों और अधिकृत व्यक्तियों द्वारा नुकसान के लिए शेयरधारकों को मुआवजा दिया जाएगा।
- ✓ Damages for non-disclosure- Fine of Rs. 50000 ad recovering the damages must be given by the people who mislead the purchasers from the one that is chargeable for the damages. गैर-प्रकटीकरण के लिए हर्जाना- रुपये का जुर्माना। ५०००० विज्ञापन हर्जाने की वसूली करने वाले लोगों द्वारा दिया जाना चाहिए जो खरीदार को नुकसान के लिए वसूले जाने वाले से गुमराह करते हैं।

Remedies for criminal liability/ आपराधिक दायित्व के लिए उपाय

Imprisonment up to 2 years or Rs. 50000 fine must beard by the people that mislead. Person who knowingly issued a misstatement is punishable for imprisonment up to 5 years or with a fine Rs. 100000 or both. 2 साल तक की कैद या रु. गुमराह करने वालों को 50000 का जुर्माना जरूर लगाना चाहिए। जानबूझकर गलत बयान जारी करने वाले व्यक्ति को 5 साल तक की कैद या रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 100000 या दोनों।